पत्र सं0- अपर आयु0/ पु0 बल वर्दी भत्ता / 2023-24/ 47 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उत्तर प्रदेश
(पुलिस-कैम्प)
दिनांक::लखनऊ:: 01 मई,2023

समस्त,
अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया शासनादेश संख्या- 12/2018/439/6-पु-1-18-254/2017 गृह(पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01-01-2019 के द्वारा हेड कान्सटेबल/ कान्सटेबल/समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्तमान में देय वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता / वर्दी भत्ता दिये जाने का प्रविधान है, जिसके क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-एडी0कमि0(पुलिस)/पु0बलवर्दी भत्ता/ 2021-22/ 623 / वाणिज्य कर दिनांक 28-02-2022(छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग की भाँति देय वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता नियमानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

सूच्य है कि शासनादेश के अनुसार हेड कान्सटेबल/ कान्सटेबल/समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक बार वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता / वर्दी भत्ता दिये जाने का प्रविधान है।

समसन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के क्रम में पुलिस विभाग की भाँति राज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता/ वर्दी भत्ता का भुगतान कराने का कष्ट करें।

पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उन्हें उनके मूल विभाग से उस वर्ष के लिए वर्दी भत्ता दिया गया है अथवा नहीं। तद्नुसार वर्दी भत्ता दिये जाने की सूचना पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका में अंकित करने के साथ ही आदेश की एक प्रति उनके मूल विभाग के पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(प्रकाश स्वरुप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त(पुलिस)राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

DC(IT) 02/05/2023

पृष्ठांकन पत्र संख्याः व दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
2- अपर आयुक्त(लेखा), राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त उपायुक्त(प्रशासन), राज्य कर उत्तर प्रदेश।

1/5/2023

अपर आयुक्त(पुलिस)राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।